अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मुंगेर द्वारा दिनांक 19.06.2014 को प्रखंड कार्यालय, धरहरा, आर0टी0पी0एस0 काउण्टर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धरहरा का किये गये औचक निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी :-

---

उपस्थिति :-

निरीक्षण के दौरान डॉ0 निर्मल कुमार सिंह, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, धरहरा एवं श्री मनोज कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, धरहरा बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए। उपरोक्त दोनों पदाधिकारियों का दिनांक 19.06.2014 के एक दिन का वेतन/मानदेय का भुगतान स्थगित किया जाता है। उपरोक्त दोनों पदाधिकारी क्रमशः जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त, मुंगेर के माध्यम से अनाधिकृत अनुपस्थिति हेतु अपना स्पष्टीकरण निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएँगे।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर/प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, धरहरा/कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, धरहरा)

1. **<u>आर0टी0पी0एस0</u>**– लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं के प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत् प्राप्त 1827 आवेदनों में से 1574 आवेदनों का निष्पादन किया गया है, परन्तु लंबित 253 आवेदनों में 170 आवेदन समय सीमा बीत जाने के बाद भी लंबित है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के लंबित 44 आवेदन में से 26, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लंबित 29 आवेदन में से 18, बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन के 41 में से 36, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के 103 में से 02 आवेदन एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के 32 में से 18 आवेदन समय सीमा बीत जाने के बाद भी लंबित है। यह स्थिति खेदजनक है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर–सह–अपीलीय प्राधिकार, सामाजिक सुरक्षा को निदेश दिया जाता है कि suo-moto अपील दायर करते हुए नियमानुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा पर सेवा में त्रुटि के लिए दण्ड अधिरोपित करते हुए कार्रवाई सुनिचित करेंगे।

   इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के कुल निष्पादित 1574 आवेदनों में से 704 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है, जो कुल निष्पादित आवेदन का 44.73% होता है। यह संख्या काफी अधिक है। आर0टी0पी0एस0 में प्राप्त आवेदन की सामान्य अस्वीकृति दर 2% से अधिक होने पर सरकार द्वारा इसकी गहन जाँच करने का निदेश है। लगभग आधे आवेदनों की अस्वीकृति संदेह उत्पन्न करता है। इनमें से भी 625 आवेदन समय सीमा पार (expired) करने के पश्चात् अस्वीकृत किए गए हैं, जो आपत्तिजनक है तथा इस संदेह को प्रबल बनाता है कि समय सीमा समाप्ति के पश्चात् निष्पादन दर को बेहतर बनाने के लिए जान–बूझकर आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है। श्रीमती प्रतिभा कुमारी, वरीय उपसमाहर्त्ता–सह–वरीय पदाधिकारी, प्रखंड–सह–अंचल, धरहरा उपरोक्त की सूक्ष्मतापूर्वक जाँच करते हुए एक पक्ष के अन्दर अपना प्रतिवेदन मन्तव्य सहित उपलब्ध कराएँगी।

   (अनुपालन–अनुमंडल पदा0, सदर/श्रीमती प्रतिभा कुमारी, वरीय उपसमाहर्त्ता–सह–वरीय पदाधिकारी, प्रखंड–सह–अंचल, धरहरा)

अंचल अन्तर्गत दाखिल–खारिज के कुल 35 तथा एल0पी0सी0 के 18 आवेदन expired हैं। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर–सह–अपीलीय प्राधिकार suo-moto अपील दायर करते हुए नियमानुसार दण्ड अधिरोपित कर कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालन–भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर–सह–अपीलीय प्राधिकार)

2. **रोकड़ पंजी :–** रोकड़ पंजी के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि Unposted Voucher के रूप में 42,75,455.14/–रू0 तथा Temporary Advance के रूप में 1,11,82,420.60/–रू0 दर्शाया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। उक्त मद में इतनी अधिक राशि का होना अकुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। Unposted Voucher के रूप में इतनी बड़ी राशि का होना निधि के विचलन को प्रदर्शित करता है।

   सामान्य रोकड़ पंजी के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि 11वें, 12वें एवं13वें वित्त की 71,99,741/– रू0, बी0आर0जी0एफ0 का 58,84,195/– रू0, पेंशन मद का 1,17,21,017/– रू0, चतुर्थ वित्त का 23,00,627/–रू0 तथा दशम् वित्त आयोग का 242596.13/–रू0 अवशेष है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि सरकारी योजनाओं की राशि का व्यय समयानुसार विकास कार्यो में नहीं किया गया है। विभिन्न वित्त आयोगों की राशि तो कई वर्षो से रोकड़ पंजी में पड़ी हुई है। प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी रोकड़ पंजी से संबंधित सभी बिन्दुओं की सूक्ष्मतापूर्वक जाँच कर समन्तव्य अपना जाँच प्रतिवेदन एक पक्ष में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–श्रीमती प्रतिभा कुमारी, वरीय उपसमाहर्त्ता–सह–वरीय पदाधिकारी, प्रखंड–सह–अंचल, धरहरा)

3. **इंदिरा आवास योजना :–** वित्तीय वर्ष 2013–14 के इंदिरा आवास से संबंधित पंचायत धरहरा दक्षिण के अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिससे परिलक्षित होता है कि पूरी इंदिरा आवास योजना मात्र पंचायत सचिव एवं एक संविदा कर्मी, अर्थात् विकास मित्र के भरोसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इंदिरा आवास के लाभार्थियों की बी0पी0एल0 सूची से short listing/योग्य लाभार्थियों की सूची तैयार करना तथा जाँचोपरान्त लाभार्थियों की अंतिम सूची, जिसके आधार पर चेक काटा गया, को पंचायत सचिव/विकास मित्र के द्वारा ही तैयार किया गया है। इस पर किसी अन्य पदाधिकारी/पर्यवेक्षक अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है।

   AWAS Soft में लक्ष्य के विरूद्ध डेढ़ गुणा व्यक्तियों के नामों के इन्ट्री के पश्चात् अंतिम रूप से चयनित लाभुकों का order sheet भी पंचायत सचिव/विकास मित्र के द्वारा बनाए गए प्रतिवेदन के आधार पर generate किया गया है।

   धरहरा दक्षिण पंचायत के कार्यालय अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कार्यालय द्वारा बनाई गई सूची में बीच में प्रतीक्षा सूची के क्रम को तोड़ा भी गया है तथा इच्छानुसार पूर्व के क्रमांक के लाभार्थियों को सम्मिलित भी किया गया है। पृच्छा करने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त के संबंध में सम्यक जाँच कर एक पक्ष के अन्दर समन्तव्य प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–श्रीमती प्रतिभा कुमारी, वरीय उपसमाहर्त्ता–सह–वरीय पदाधिकारी, प्रखंड–सह–अंचल, धरहरा)

4. **<u>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धरहराः–</u>** निरीक्षण के दौरान एकमात्र चिकित्सक डॉ0 महेन्द्र कुमार उपस्थित पाए गए। इनके द्वारा बताया गया कि शेष दो चिकित्सक डॉ0 राजकुमार मंडल एवं डॉ0 एम0 के0 महतो, पल्स पोलियो कार्यक्रम हेतु क्षेत्र भ्रमण में गये हुए हैं। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर उक्त की सम्पुष्टि अपने स्तर से करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँगे।

- निरीक्षण के क्रम में दवाओं की उपलब्धता की स्थिति काफी दयनीय पाई गई तथा उपस्थित व्यक्तियों/मरीजों द्वारा भी दवा की अनुपलब्धता की शिकायत की गई।
- दो एम्बुलेन्स उपलब्ध हैं जिनमें से एक सांसद मद का तथा एक 102 सेवा से संबंधित हैं, परन्तु उक्त दोनों एम्बुलेन्स कार्यशील नहीं है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है।
- इन्डोर के संबंध में पृच्छा किए जाने पर उपस्थित चिकित्सक द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में कार्रवाई करते हुए अद्यतन स्थिति संबंधी मन्तव्यभारित प्रतिवेदन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, धरहरा सिविल सर्जन, मुंगेर के माध्यम से दो दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–सिविल सर्जन, मुंगेर/प्रभारी चिकित्सा पदा0, प्रा0स्वा0केन्द्र, धरहरा)

ह0/

(अमरेन्द्र प्रसाद सिंह)
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक–24–17(2)/14–1640/गो0, दिनांक 20/6/14

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/सिविल सर्जन, मुंगरे/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/श्रीमती प्रतिभा कुमारी, वरीय उपसमाहर्त्ता–सह–वरीय पदाधिकारी, प्रखंड–सह– अंचल, धरहरा/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा/अंचलाधिकारी, धरहरा/प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, धरहरा/कार्यक्रम पदाधिकारी,मनरेगा, धरहरा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, धरहरा/आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.6.14

(अमरेन्द्र प्रसाद सिंह)
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।